

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/अ0-03-09/2022

पटना, दिनांक-

श्री राजेश कुमार, राज्य-कर उपायुक्त (तृतीय सीमित बैच), गया अंचल-2, गया को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-02.04.2025 से 17.04.2025 तक कुल 16 दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री कुमार के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (300-16=284) (दो सौ चौरासी) दिन का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-09/2022

1143

पटना, दिनांक-06/03/2025

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/
कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), गया
अंचल-2, गया/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी,
एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर
विभाग, बिहार, पटना एवं श्री राजेश कुमार, राज्य-कर उपायुक्त (तृतीय सीमित बैच), गया
अंचल-2, गया को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।